
PMNRF

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

गाइड बुक

दस्तावेज़ मार्गदर्शिका



प्रक्रिया और समय-सीमा



योजना के बारे में जानकारी



पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज़



फंड कवरेज



आवेदन कैसे करें



दावा प्रक्रिया



मरीज़ों के लिए बुनियादी सुझाव

पूर्व-आवेदन

- योजना को अंतिम रूप देना (CM/PM)
- दस्तावेज़ संकलन

SMW, मरीज़

01

1-2 हफ़्ते

आवेदन की तैयारी

- पात्रता सत्यापन
- दस्तावेज़ संकलन
- MP पत्र/सहायक दस्तावेज़ संग्रह
- HCP से उपचार योजना

02

SMW, मरीज़, स्थानीय संपर्क व्यक्ति

2-3 हफ़्ते

आवेदन जमा करना

या ऑफ़लाइन:

- फ़ॉर्म डाउनलोड और उसे भरना
- सरकारी अधिकृत डाक सेवा के माध्यम से डाक द्वारा भेजना
- शामिल किए जाने वाले दस्तावेज़: भरा हुआ आवेदन पत्र, सहायक दस्तावेज़ और MLA/MP का पत्र

SMW, मरीज़

03

आवेदन का अनुवर्ती

- आवेदन की स्थिति ट्रैक करना
- फंड जारी होने पर मरीज़ को जानकारी देना
- इलाज शुरू करने के लिए अस्पताल से संपर्क करना

04

SMW, स्थानीय संपर्क व्यक्ति

4-12 सप्ताह

आवेदन अस्वीकृति

- अपात्रता
- दस्तावेज़ों की कमी
- दस्तावेज़ सत्यापन में समस्या

SMW, मरीज़

05

कैंसर की देखभाल और अन्य प्रमुख उपचारों के लिए मरीजों के लिए एक सरल मार्गदर्शिका

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ज़रूरत-आधारित वित्तीय सहायता कोष है। इसका उद्देश्य उन मरीजों को तत्काल मदद पहुँचाना है जो कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का इलाज करवाने में असमर्थ हैं।

PMNRF कोई बीमा योजना नहीं है और न ही यह कैशलेस सुविधा देती है। यह एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो आमतौर पर मंजूरी मिलने के बाद जारी की जाती है ताकि इलाज का खर्च कम करने में मदद मिल सके।

यह गाइड मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए लिखी गई है। इसमें सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है और भारत में अस्पताल में इलाज की व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया है।

PMNRF कब और क्यों शुरू किया गया था?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) की स्थापना उन व्यक्तियों और परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, जो चिकित्सा आपात स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के कारण अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

समय के साथ, PMNRF उन रोगियों के लिए सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जो कैंसर जैसे महंगे और लंबे समय तक चलने वाले उपचार करवा रहे हैं—विशेष रूप से तब, जब कोई अन्य सरकारी योजना या बीमा उपलब्ध न हो।

पात्रता मापदंड

- मरीज इलाज का खर्च उठाने में आर्थिक रूप से असमर्थ है।
- बीमारी गंभीर या जानलेवा है (जैसे कैंसर)।
- मरीज को बीमा या अन्य सरकारी योजनाओं से पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं है।
- कई मामलों में, आयुष्मान भारत कार्डधारक उसी उपचार के लिए PMNRF सहायता के पात्र नहीं हो सकते हैं।

PMNRF की सहायता उन मरीजों के लिए है जो वास्तव में आर्थिक संकट में हैं, और यह सहायता प्रत्येक मामले की खूबियों के आधार पर दी जाती है।

आमतौर पर आवश्यक दस्तावेज़

- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड या इसी तरह का कोई सरकारी ID)
- संपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा की गई जाँच और इलाज की योजना शामिल हो।
- किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
- अस्पताल में इलाज के खर्च का एक अनुमान, जिसकी अक्सर आपके परामर्शदाता डॉक्टर से आवश्यकता होती है।
- सांसद/विधायक पत्र

समीक्षा प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज़ों का अनुरोध किया जा सकता है। इन दस्तावेज़ों में केस पेपर, CT स्कैन रिपोर्ट, MRI स्कैन, X-रे, डिस्चार्ज समरी, लागत का अनुमान, उपचार का पूर्वानुमान और उपचार की अवधि शामिल हैं।

PMNRF के अंतर्गत क्या-क्या आता है?

- यह सहायता एक बार दी जाने वाली प्रकृति की है।
- मंजूर की गई राशि निम्नलिखित पर निर्भर करती है:
 - बीमारी की प्रकृति और गंभीरता
 - इलाज की अनुमानित लागत
 - मरीज़ की आर्थिक स्थिति

मंजूर की गई राशि का उद्देश्य इलाज का खर्च कम करना है, और मंजूरी मिलने के बाद इसे अस्पताल के खाते में भेज दिया जाता है।

कैंसर के मरीज़ों के लिए महत्वपूर्ण

- *PMNRF* आमतौर पर कैंसर के इलाज का पूरा खर्च नहीं उठाता है।
- यह सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े खर्चों को कम करने में मदद करता है।
- मरीज़ अक्सर *PMNRF* की मदद के साथ-साथ राज्य की योजनाओं या *NGO* की सहायता का भी लाभ उठाते हैं।

आवेदन कैसे करें

PMNRF के आवेदन आमतौर पर अस्पतालों, NGOs या चुने हुए प्रतिनिधियों की सहायता से ऑफ़लाइन प्रोसेस किए जाते हैं।

चरण:

1. आवेदन पत्र डाउनलोड करें

<https://pmnrf.gov.in/assets/uploads/downloads/PMNRF-Assistance-form-English.pdf> या अस्पताल से आवेदन पत्र प्राप्त करें।

2. पैनल में शामिल अस्पताल के इलाज करने वाले डॉक्टर से एक अनुमानित कोटेशन तैयार करवाएँ, और PMNRF के तहत वित्तीय सहायता का अनुरोध करते हुए एक अनुमान पत्र/आवेदन तैयार करें।

3. आवश्यक चिकित्सा और आय-संबंधी दस्तावेज़ संलग्न हैं। इन दस्तावेज़ों में केस पेपर, CT स्कैन रिपोर्ट, MRI स्कैन, X-रे, डिस्चार्ज समरी, लागत का अनुमान, उपचार का पूर्वानुमान और उपचार की अवधि शामिल हैं।

4. आवेदन अक्सर इनके माध्यम से भेजे जाते हैं:

- अस्पताल के समाज कल्याण विभाग
- स्थानीय सांसदों या विधायकों के कार्यालय (ज़्यादातर)

5. सत्यापन MP/MLA स्तर से किया जाएगा।

6. प्रधानमंत्री कार्यालय से सत्यापन

7. यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से एक कॉल या टेक्स्ट संदेश प्राप्त होगा।

मंजूरी, सत्यापन और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

अस्पताल में PMNRF का उपयोग कैसे करें (दावा प्रक्रिया)

PMNRF बीमा की तरह काम नहीं करता।

1. मंजूरी मिलने के बाद, मंजूर की गई राशि अस्पताल के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
2. यह सहायता आम तौर पर इलाज के खर्चों के लिए समायोजित की जाती है।
3. फंड जारी होने में समय लग सकता है, और अक्सर इसके लिए फॉलो-अप की ज़रूरत पड़ती है।

मरीज़ों को इलाज के खर्च की योजना बनाते समय संभावित देरी को ध्यान में रखना चाहिए।

अस्पताल का विवरण:

- सरकारी नियमों के अनुसार, PMNRF की सहायता का उपयोग केवल मान्यता प्राप्त या पैनल में शामिल अस्पतालों में ही किया जा सकता है। चूंकि अस्पतालों की पैनल सूची समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए मरीज़ों को सलाह दी जाती है कि वे अस्पतालों की छपी हुई सूचियों पर निर्भर न रहें।
- मरीज़ों और उनकी देखभाल करने वालों को नवीनतम जानकारी के लिए PMNRF की आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए:
- <https://www.pmindia.gov.in/en/pmrf/>
- अस्पताल की पात्रता की पुष्टि सीधे अस्पताल प्रशासन या सामाजिक कार्य विभाग से भी की जा सकती है।

मरीज़ों के लिए बुनियादी सुझाव

- जितनी जल्दी हो सके, आवेदन करें—बेहतर होगा कि बीमारी का पता चलते ही आवेदन कर दें।
- सुनिश्चित करें कि सभी मेडिकल दस्तावेज़ और अनुमान स्पष्ट और अपडेटेड हों।
- जमा किए गए सभी कागज़ों की प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें।
- केवल PMNRF पर ही निर्भर न रहें—इसके साथ-साथ राज्य सरकारों की योजनाओं और NGO से मिलने वाली सहायता के विकल्पों को भी तलाशें।
- आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि PMO की ओर से कोई भी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाती है।
- यदि आवेदक PMNRF आवेदन पत्र और दस्तावेज़ स्वयं भेजता है, तो उन्हें केवल सरकारी डाकघर (India Post) के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए और उनका पता 'प्रधानमंत्री कार्यालय' (PMO) होना चाहिए।
- यदि आवेदन जमा करने के तीन महीने के भीतर PMO से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आवेदक दोबारा आवेदन कर सकता है।



महत्वपूर्ण हेल्पलाइन

Call us at – **8130050439 (Pair Academy)**

PMNRF के लिए कोई सार्वजनिक हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं है। मरीज़ों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित माध्यमों से मार्गदर्शन प्राप्त करें:

- अस्पताल का समाज कल्याण विभाग
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यालय

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का उद्देश्य उन मरीज़ों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से परेशान हैं और किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं। कैंसर के मरीज़ों के लिए, यह तब एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत दे सकता है जब कोई और सहारा उपलब्ध न हो।

सही दस्तावेज़ों और धैर्य के साथ, PMNRF इलाज के बोझ को कुछ हद तक कम कर सकता है और परिवारों को सम्मान के साथ देखभाल जारी रखने में मदद कर सकता है।

**APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE FROM
PRIME MINISTER'S NATIONAL RELIEF FUND (PMNRF)**

1.	Name of the Patient	Ramesh Kumar	Paste photograph of Patient here
2.	Age/Sex of the Patient	45 Years / Male	
3.	Father's /Husband's name	Shri Suresh Kumar	
4.	Number of Family members	5	
5.	Residential address for correspondence. Please enclosed copy of proof.	Village Rampur, District Shahjahanpur, UP – 242001	
6.	Contact details of the patient/applicant		
	Telephone/Mobile No.	9XXXXXXXXXX	
	E-mail ID	ramesh.kumar@gmail.com	
7.	AADHAAR-Card No. (Please enclose self attested copy of the card.)	XXXX-XXXX-1234	
8.	Nature of Disease/ailment/Treatment Required	Cancer – Chemotherapy & Surgery	
9.	Quantum of Financial Assistance required for future treatment as per estimate given by the hospital. Please enclose Expenditure Estimate from the Govt./private empanelled hospital. The list of private empanelled hospital may be accessed at https://pmnrf.gov.in	4,50,000 (Hospital estimate enclosed)	
10.	Whether any assistance from PMNRF was received on earlier occasion by the patient. If so, mention file No. of the Sanction/Release letter.	No	

11.	Whether the patient is covered under 'Ayushman Bharat [Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)]. If yes, please give Card No. and details	Yes
	If yes, please give Card No. and details of assistance received under 'Ayushman Bharat [Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)].	12XXXXXXXXXXXX12
12.	Whether applied / eligible for any other sources of funding/Assistance from any Govt. agency/NGO/Insurance company/Hospital/Employer etc. If Yes, please give details.	No
13.	Whether patient or the person on whom he/she is dependent is an employee of Central Govt./State Govt./Local Bodies/PSU.	No
14.	Occupation and monthly income of the patient or the person on whom he/she is dependent. Please enclose Income Certificate issued by District Revenue Authority.	Daily Wage Labourer – 8,000/month
15.	Bank Details (Please enclose a copy of passbook first page or cancelled cheque)	
	Bank A/C holder's Name (Patient/Applicant)	Ramesh Kumar
	Bank Account No.	XXXXXXXXXXXX
	Bank and Branch Name	SBI, Rampur Branch
	IFSC Code	IFSC: SBIN00XXXX
16.	Any Other relevant information.	Sole earning member of the family

Ramesh Kumar

Signature of the patient/applicant

(Name:)

(Mention name of applicant along with relation with the patient, if application is not signed by patient)

PMNRF आवेदन संबंधी दिशानिर्देश

यह दस्तावेज़ मरीज़ों, परिवार के सदस्यों और सहायकों के लिए PMNRF आवेदन फ़ॉर्म को सही ढंग से भरने और जमा करने के उद्देश्य से है।

DO's (Important Instructions While Filling the Form)

1	Use an active mobile number that remains reachable
2	एक ऐसा चालू मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें, जिस पर संपर्क किया जा
3	स्व-प्रमाणित आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।
4	सरकारी/पैनल में शामिल अस्पताल से प्राप्त मूल अस्पताल अनुमान संलग्न करें।
5	Mention correct treatment amount as per estimate only
6	अनुमान के अनुसार, केवल सही उपचार राशि का ही उल्लेख करें।
7	ज़िला प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8	कैंसल्ट चेक के साथ सही बैंक खाता विवरण प्रदान करें।
9	फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करें (यदि परिवार के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, तो संबंध का उल्लेख करें)
10	आवेदन केवल सरकारी डाकघर (India Post) के माध्यम से भेजें।

क्या न करें (आम गलतियाँ जिनसे बचें)

1	अनिवार्य फ़िल्ड्स को खाली न छोड़ें।
2	गैर-पैनलबद्ध निजी अस्पतालों से प्राप्त अनुमान संलग्न न करें।
3	उपचार की मात्रा का अनुमान न लगाएं या उसे बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं।
4	आय प्रमाण पत्र के बिना जमा न करें।
5	गलत या निष्क्रिय मोबाइल नंबर न दें।
6	पिछली PMNRF सहायता का विवरण न छिपाएँ।
7	दस्तावेज़ कूरियर/निजी सेवा के माध्यम से न भेजें।
8	MP/MLA के सिफ़ारिश पत्र के बिना दस्तावेज़ जमा न करें।
9	आधार, बैंक या नाम की जानकारी का मिलान गलत न करें।
10	यदि कोई जवाब न मिले, तो 3 महीने से पहले दोबारा आवेदन न करें।